रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 1985/पौष 12, 1906
No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 1985/PAUSA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना सं. 6091

संपदा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1985

स. का. नि. 6(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 की उपधारा (1) में उपबंधित राहत के अतिरिक्त कुछ और राहत मृतक की सम्पत्ति के निम्न-लिखित वर्ग, अर्थात् केन्द्रीय सरकार कर्मचारिवृन्द सामूहिक बीमा स्कीम, 1980 के अधीन, या कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए किसी नियोजक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ लागू की गई किसी अन्य सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन, अस्सी

हजार रुपए मात्र की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, जैसी कि वह स्कीम केन्द्रीय सरकार कर्मचारीवृन्द सामूहिक बीमा स्कीम, 1980, के अधीन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान है, संदेय धन की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन सम्पदा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाना है, दी जाए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि सम्पत्ति के उपर्युक्त वर्ग की बाबत कोई सम्पदा-शुल्क देय नहीं होगा ।

[फा. सं. 296/28/83-ई.डी.]

ए. के. फोतेदार, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
NOTIFICATION NO. 6091
ESTATE DUTY

New Delhi, the 1st January, 1985

G.S.R. 6(E).—Whereas the Central Government is of opinion that circumstances are such that some relief in addition to the reliefs provided in sub-section (1) of section 33 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) should be given in respect of the following class of property belonging to the deceased which passes on his death and in respect of which estate duty is liable to be levied and collected under the said Act, namely, the moneys payable under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, or under any other Group Insurance Scheme taken up by an employer with the Life Insurance Corporation of India for the benefit of his employees subject to the maximum limit of rupees eighty thousand only as available under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, in existance on the date of publication of this notification in the official Gazette.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 33 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), the Central Government hereby directs that no estate duty shall be payable in respect of the aforesaid class of property.

[F. No. 296/28/83-ED]

A. K. FOTEDAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985